प्रेषक,

सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

सेवा में,

समस्त सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,

उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–परिषद–9/ 658 दिनांक– 14-9-2017

विषयः–अमान्य परीक्षा संस्थाओं द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के समकक्ष अवैध रूप से परीक्षाओं का संचालन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

परिषद के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के कई जनपदों में फर्जी परीक्षा संस्थाओं द्वारा अवैध रूप से हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इन परीक्षा संस्थाओं द्वारा छात्रों को गुमराह कर उन्हें अपनी परीक्षाओं में सम्मिलित कराकर हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के अंकपत्र तथा प्रमाण पत्र वितरित किये जा रहे हैं। इन परीक्षा संस्थाओं द्वारा उत्तीर्ण परीक्षार्थी उच्च कक्षाओं में प्रवेश लेकर अध्ययन कर रहे हैं। कतिपय परीक्षार्थी राजकीय सेवा में कार्यरत भी हैं। ऐसे छात्रों का सेवायोजक द्वारा सत्यापन कराये जाने पर परिषद द्वारा उनकी उत्तीर्ण की गई परीक्षायें अमान्य घोषित कर दी जाती हैं तथा बाद में इन छात्रों द्वारा मान0 उच्च न्यायालय में वाद भी योजित किये जाते हैं।

ज्ञातव्य है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम–1921 के अधीन बनाये गये विनियमों के अध्याय–बारह तथा चौदह के अन्तर्गत परिषद की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं की समकक्षता देश के अन्य शिक्षा बोर्डों तथा अन्य परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित इसी स्तर की परीक्षाओं के समकक्ष घोषित की गई हैं। परन्तु प्रदेश में कतिपय फर्जी संस्थाओं द्वारा अवैध रूप से हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट स्तर की परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसका कोई विधिक आधार नहीं है।

परिषद द्वारा जिन परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को समकक्षता प्रदान की गई है, उसकी प्रति संलग्न है। साथ ही उक्त सूची माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है।

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम–1921 की धारा–7(ख)एवं धारा–7(घ) में निम्नवत् प्रावधान है:–

धारा–7(ख) कोई व्यक्ति किसी डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज को प्रदान, अनुदान या जारी नहीं करेगा या प्रदान,अनुदान या जारी करने के लिए हकदार होना अपने को प्रकट नहीं करेगा, जिसमें यह कथन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो कि उसके स्वामी, गृहीता या पाने वाले ने किसी संस्था में या व्यक्तिगत रूप से पाठ्यक्रम का अनुसरण किया है और हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा, जिसके वर्णन में उसके हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट परीक्षा होने के प्रति विश्वास कराने की युक्ति–युक्त प्रकल्पना हो, उत्तीर्ण किया है।

धारा–7(घ) धारा–7(ख) अथवा 7–ग के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो तीन वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माना से भी जो एक हजार रूपये से कम न होगा दंडित किया जा सकेगा और यदि ऐसा उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई सोसाइटी या व्यक्तियों का कोई समुदाय है तो ऐसी सोसाइटी या समुदाय के प्रत्येक सदस्य को, जो जानबूझकर और स्वेच्छा से ऐसे उल्लंघन को प्राधिकृत करता है या अनुज्ञा देता है, इसी प्रकार दंड़ित किया जा सकेगा।

अस्तु आपसे अनुरोध है कि कृपया अमान्य परीक्षा संस्थाओं के प्रबन्धकों के विरूद्ध अधिनियम की उपर्युक्त धाराओं के अन्तर्गत यथावांछित विधिक कार्यवाही करने का कष्ट करें, ताकि प्रदेश के छात्रों एवं अभिभावकों को गुमराह न होना पड़े तथा न्यायालयी विवाद से बचा जा सके।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय

श्रीमती(नीना श्रीवास्तव)

सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–परिषद–9/6881 दिनांक– 14.9.17 14/9/17

उक्त की प्रतिलिपि शिक्षा निदेशक(मा0)शिविर कार्यालय,18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

सचिव 14/9

माध्यमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

14.9.17 14/9/17

प्रेषक,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

सेवा में,

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–परिषद–9/ 743 दिनांक– 25 अक्टूबर, 2016

विषयः–**माध्यमिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के समकक्ष अन्य बोर्डों/विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं को मान्य किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

ज्ञातव्य है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं की समकक्षता के सम्बन्ध में जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 तथा अन्य स्रोतों से जिज्ञासायें की जाती है। प्रदेश अथवा उसके बाहर कतिपय ऐसी परीक्षा संस्थायें जो विधि द्वारा स्थापित नहीं हैं, हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के फर्जी अंकपत्र तथा प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं। इन फर्जी अंकपत्रों/प्रमाणपत्रों के आधार पर प्रधानाचार्यों द्वारा अनियमितरूप से विद्यालयों में प्रवेश लेकर परीक्षा में सम्मिलित करा दिया जाता है। फर्जी अंकपत्र/प्रमाणपत्र के आधार पर सम्मिलित परीक्षार्थी का परीक्षाफल बाद में परिषद द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। इस प्रकार के कई प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में योजित किये जाते हैं, जिससे शासन/परिषद के समक्ष एक विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

अस्तु आपके सूचनार्थ प्रेषित है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश द्वारा निम्नांकित परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष स्वीकार किया गया है। उक्त के अतिरिक्त किसी भी परीक्षा संस्था द्वारा संचालित हाईस्कूल परीक्षा(कक्षा–10)मान्य नहीं है:–

1-बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन (आन्ध्र प्रदेश)।
2-बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन गुवाहाटी, असम।
3-बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, पटना।
4-सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली।
5-छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, रायपुर।
6-काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जाजिनेशन, नई दिल्ली।
7-दयालबाग एजूकेशन इस्ट्टीयूट (डीम्ड यूनिवर्सिटी) आगरा।
8-गोवा बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजूकेशन, गोवा।
9-गुजरात सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजूकेशन बोर्ड, गांधीनगर, गुजरात।
10-बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन हरियाणा, भिवानी।
11-हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, धर्मशाला, कांगड़ा।
12-जे0 एण्ड के0 स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, जम्मू।
13-झारखण्ड एकेडमी काउन्सिल, राँची।
14-कर्नाटका सेकेण्डरी एजूकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड, बंगलौर।
15-केरला बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन, तिरूवन्तपुरम।
16-महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एवं हायर सेकेण्डरी एजूकेशन, पुणे।
17-बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, मध्य प्रदेश, भोपाल।
18-बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, मणिपुर, इम्फाल।
19-मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, मेघालय।
20-मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, ऐजाल।
21-नागालैण्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, कोहिमा।
22-बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, उड़ीसा, कटक।
23-पंजाब स्कूल एजूकेशन बोर्ड, मोहाली।
24-बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन राजस्थान, अजमेर।
25-स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन, (सेकेण्डरी) एण्ड बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एक्जामिनेशन, तमिलनाडु।
26-त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, अगरतला।
27-वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, कोलकता।

25/10/16

28-बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल।
29-उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित मौलवी परीक्षा, अरबी और मुंशी परीक्षा फारसी।
30-माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा अथवा कोई अन्य उच्चतर परीक्षा।
31-राष्ट्रीय ओपेन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचालित सेकेण्डरी (माध्यमिक) परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा कम से कम छः विषयों में उत्तीण की गई हो।
32-भारत में विधि द्वारा स्थापित ऐसे परीक्षा संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हाईस्कूल (मैट्रीकुलेशन) अथवा इसके समकक्ष संचालित परीक्षायें जिसके सम्बन्ध में सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन का समाधान हो गया है, परिषद की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य होंगी।
33–ऐसे छात्र/छात्रायें जिन्होंने कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 02 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यावसाय प्रमाण–पत्र (एन0टी0सी0) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश (एस0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाईस्कूल (कक्षा–10) की हिन्दी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद की हाईस्कूल (कक्षा–10) के समकक्ष माना जायेगा।
34– गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार,उत्तराखण्ड़ द्वारा संचालित विद्याधिकारी परीक्षा।
35–महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा परीक्षा। प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व मध्यमा परीक्षा कम से कम पांच विषयों में,जिसमें भाषा के अतिरिक्त दो अन्य विषय सम्मिलित हो,सहित उत्तीर्ण की गई हो। वर्ष–1998 से प्रभावी माना जाय।

इसी प्रकार निम्नांकित परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा (कक्षा–12)के समकक्ष मान्यता प्रदान की गई है:–

1-बोर्ड ऑफ इण्टरमीडिएट एजूकेशन (आन्ध्र प्रदेश)
2-असम हायर सेकेण्डरी एजूकेशन काउन्सिल, गुवाहाटी।
3-गर्वमेन्ट ऑफ कर्नाटका डिपार्टमेन्ट ऑफ प्री-यूनीवर्सिटी एजूकेशन, बंगलोर।
4-काउन्सिल ऑफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन, उड़ीसा।
5-बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल।
6-गुजरात सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजूकेशन बोर्ड गांधीनगर।
7-केरला बोर्ड आफ पब्लिक एक्जामिनेशन, तिरूवनन्तपुरम।
8-महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आफ सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, पुणे।
9-काउन्सिल ऑफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन, मणीपुर, इम्फाल।
10-वेस्ट बंगाल काउन्सिल ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, कोलकता।
11-माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा।
12-उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित आलिम परीक्षा।
13-बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, पटना।
14-सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली।
15-छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, रायपुर।
16-काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली।
17-दयालबाग एजूकेशन इन्स्टीट्यूट (डीम्ड यूनिवर्सिटी) दयालबाग आगरा।
18-गोवा बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजूकेशन, गोवा।
19-बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन हरियाणा, भिवानी।
20-हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, कांगड़ा।
21-जे0 एण्ड के0 स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, जम्मू।
22-झारखण्ड एकेडमी काउन्सिल, राँची।
23-माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश, भोपाल।
24-मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, मेघालय।
25-मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, ऐजाल।
26-नागालैण्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, कोहिमा।
27-पंजाब स्कूल एजूकेशन बोर्ड मोहाली।
28-माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
29-स्टेट बोर्ड आफ स्कूल एक्जामिनेशन (सेकेण्डरी) एवं बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एक्जामिनेशन तमिलनाडू।

25/12/16

30-त्रिपुरा बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन अगरतला।

31-राष्ट्रीय ओपेन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचालित सीनियर सेकेण्डरी (उच्च माध्यमिक) परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा कम से कम पाँच विषयों में उत्तीर्ण की गई हो।

32-भारत में विधि द्वारा स्थापित ऐसे परीक्षा संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष संचालित परीक्षायें जिनके सम्बन्ध में सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0 प्र0 शासन का समाधान हो गया है, परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य होगी।

33-डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा संचालित प्री-डिग्री सर्टीफिकेट फार डेफ स्टूडेन्ट परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा पाँच विषयों के साथ उत्तीर्ण की गयी हो।

34–ऐसे छात्र/छात्रायें जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा–10 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 02 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र (एन0टी0सी0) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 (एस0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट (कक्षा–12) की परीक्षा के हिन्दी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद की इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) के समकक्ष माना जायेगा।

35–प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा।

36– महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा। प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर मध्यमा परीक्षा कम से कम पांच विषयों में,जिसमें भाषा के अतिरिक्त दो अन्य विषय सम्मिलित हो,सहित उत्तीर्ण की गई हो। वर्ष–1998 से प्रभावी माना जाय।

उक्त के अतिरिक्त किसी भी परीक्षा संस्था द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा (कक्षा–12)मान्य नहीं है। तद्नुसार छात्र/छात्रओं द्वारा प्रस्तुत हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में उत्पन्न स्थिति का समाधान/निवारण उपरोक्तानुसार किया जाय।

भवदीय

श्रीमती (शैल यादव)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–परिषद–9/ 7431(1-14) दिनांक– 25-10-16

उक्त पत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–शिक्षा निदेशक(मा0)शिविर कार्यालय,लखनऊ।
2–शिक्षा निदेशक(बे0)लखनऊ।
3–शिक्षा निदेशक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,निशातगंज,लखनऊ।
4–अपर शिक्षा निदेशक (मा0)शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद।
5–अपर शिक्षा निदेशक(पत्राचार)इलाहाबाद।
6–अपर शिक्षा निदेशक(व्यावसायिक) शिविर कार्यालय लखनऊ।
7–सचिव,माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,एलनगंज,इलाहाबाद।
8–सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग,इलाहाबाद।
9–सचिव,बेसिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
10–समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,उत्तर प्रदेश।
11–अपर सचिव,माध्यमिक शिक्षा परिषद,क्षेत्रीय कार्यालय,मेरठ/बरेली/इलाहाबाद/वाराणसी।
12–समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,उत्तर प्रदेश।
13 समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी,उत्तर प्रदेश।
14–उपसचिव, सिस्टम सेल अनुभाग, मुख्यालय को उक्त पत्र को परिषद की वेवसाइट (upmsp.edu.in) पर अपलोड करने हेतु।

श्रीमती(शैल यादव)
सचिव।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 21 नवम्बर, 2020 ई० (कार्तिक 30, 1942 शक संवत्)

भाग-4

निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

17 नवम्बर, 2020 ई०

सं० परिषद्-9/415–सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्या 1844/15-7-2020-1(139)/2005 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 13 नवम्बर, 2020 द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन निर्मित परिषद् विनियमों के अध्याय-चौदह के विनियम-2 (33) को निम्नवत् संशोधित किये जाने की स्वीकृति अधिनियम की धारा-16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदान कर दी है–

वर्तमान स्वरूप	संशोधित स्वरूप
अध्याय -चौदह विनियम-2 (33)	**अध्याय -चौदह विनियम-2 (33) (क)**
विखण्डित	गुरूकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन, मथुरा द्वारा वर्ष 2008 की परीक्षा तक संचालित अंग्रेजी विषय के साथ अधिकारी परीक्षा जो एक से अधिक वर्ष में खण्डों में उत्तीर्ण न की गई हो।

टिप्पणी–इस विनियम में प्रयुक्त शब्द खण्डों से तात्पर्य पूरक परीक्षा से है।

वर्ष 2008 के पश्चात् उत्तीर्ण अधिकारी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य नहीं होगी।

दिव्यकान्त शुक्ल,
सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश।

पी०एस०यू०पी०–34 हिन्दी गजट–भाग 4–2020 ई०।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
पी०एस०यू०पी०–39 मा०शि०प०–19-11-2020-1000 प्रतियां (मोनो/डी०टी०पी०/आफसेट)।